

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

प. 13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2015

जयपुर, दिनांक:

9 APR 2015

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष  
(जिला कलेक्टरों सहित)

विषय: जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में  
जिला कलेक्टर की भूमिका ।

महोदय,

इस विभाग के परिपत्र प.13(51)का./क-1/गो.प्र./2000 दिनांक 07.06.2000 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा लिखा जाकर जिला कलेक्टर को अपनी टिप्पणी अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया जाये, तत्पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षक अधिकारी को भिजवाया जायेगा ।

लेकिन उक्त अधिकारियों के इस विभाग में प्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की जांच के पश्चात यह देखने में आया है कि अधिकारी अपना प्रतिवेदन उचित फार्म में भर कर प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया की अनुपालना नहीं हो रही है।

अतः समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि कृपया वे अपने विभाग से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में सम्बन्धित जिला कलेक्टर की टिप्पणी अंकित करवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में बिना जिला कलेक्टर की टिप्पणी के अंकन के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्मिक(क-1/गो.प्र.) विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

भवदीय,

3

(आलोक गुप्ता)  
शासन सचिव